



निर्यात निरीक्षण परिषद्

(आई एस ओ 9001 : 2015 प्रमाणित संस्थान)
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

EXPORT INSPECTION COUNCIL

(An ISO 9001:2015 Certified Organisation)
(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)


22 मई 2019

नि.नि.प/प्रशा/स.प्र/60107/2019-20 / 749

कार्यालय आदेश सं - 2019/15

विषय - आर.टी.आई अधिनियम के तहत नि.नि.प/नि.नि.अ में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के के संदर्भ में।

कृपया निम्नलिखित दस्तावेज़ आप के आगे की आवश्यक कार्यवाई हेतु संलग्न किये जा रहे हैं।



(कन्नन कस्तूरी एन एस)
उप निदेशक (गैर तकनीकी)

संलग्न - उपरोक्तानुसार

श्री आर एम माण्डलीक
उप-निदेशक (तकनीकी)
निर्यात निरीक्षण परिषद्
नई दिल्ली

सेवा में-

1. श्री वसी असगर, सहायक निदेशक (तकनीकी) और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), नि.नि.प, नई दिल्ली।
2. अपर निदेशक, नि.नि.प, नई दिल्ली।
3. सं.नि/उ.नि (प्रभारी) - दिल्ली/चेन्नई/कोलकाता/मुंबई/कोच्चि।
4. संगणक यंत्र अनुभाग- नि.नि.प के वेबसाइट पर कार्यालय आदेश अपलोड करने कि कार्यावाई करने के लिए।
5. हिंदी अनुभाग- प्राथमिकता पर हिंदी में अनुवाद करने के लिए।
6. निदेशक (आई एवं क्यू/सी) के निजी सचिव, नि.नि.प, नई दिल्ली।
7. कार्यालय आदेश/आरटीआई सेल।



निर्यात निरीक्षण परिषद्

(आई एस ओ 9001 : 2015 प्रमाणित संस्थान)

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

EXPORT INSPECTION COUNCIL

(An ISO 9001:2015 Certified Organisation)

(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)

EIC/ADMN/GA/60107/2019-20 /749

22nd May 2019

OFFICE ORDER – 2019/15

Subject: - First Appellate Authority under the RTI Act 2005 at EIC/EIAs– Reg.

In partial modification of this office order No. 2018/21 issued on File No. EIC/D(Q/C)/RTI(CPIO)/2018-19/765 dated 29th May 2018, the Competent Authority has designated Sh. R M Mandlik, Deputy Director (Tech.) as First Appellate Authority under Section 19 (1) of RTI Act 2005 with immediate effect in respect of matters related to EIC/EIAs.

This issues with the approval of the Director (I & Q/C), EIC.


(Kannan Kasturi NS)
Deputy Director (NT)

Sh. R M Mandlik,
Deputy Director (Tech.)
EIC

Copy to:-

1. Sh. Wasi Asghar, AD (T) & CPIO, EIC, New Delhi.
2. The Additional Director, EIC, New Delhi.
3. The Joint Director/Deputy Director (I/c), EIA – Chennai/Delhi/Mumbai/Kochi /Kolkata.
4. Computer Section for uploading in EIC's website.
5. Hindi Section for translation in Hindi.
6. PS to Director, EIC, New Delhi.
7. Office Order File/RTI Cell.